भारत सरकार
ग्रामीण विकास मंत्रालय
ग्रामीण विकास विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 601
(25 जून, 2019 को उत्तर दिए जाने के लिए)

सबके लिए आवास

601. श्री एच. वसंतकुमारः

क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार का 2022 तक 'सबके लिए आवास' योजना के अंतर्गत मछुआरों के लिए आवास निर्माण करने का विचार है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और अब तक इस संबंध में आवंटित निधि क्या है;
(ख) देश में वर्तमान में चल रही विभिन्न ग्रामीण विकास योजनाओं का ब्यौरा क्या है;
(ग) विगत तीन वित्त वर्षों के प्रत्येक वर्ष के दौरान आवंटित निधियों की राज्य/योजना-वार प्रमात्रा कितनी है;
(घ) उक्त अवधि के दौरान योजना-वार राज्यों का निष्पादन क्या है; और
(ङ) इस योजना को और बढ़ावा देने हेतु सरकार द्वारा प्रस्तावित कदम क्या हैं?

उत्तर
ग्रामीण विकास मंत्री
(श्री नरेन्द्र सिंह तोमर)

(क): वर्ष 2022 तक 'सभी के लिए आवास' के उद्देश्य की पूर्ति के लिए सरकार शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में **प्रधान मंत्री आवास योजना** चला रही है। ग्रामीण क्षेत्रों के संबंध में, इंदिरा आवास योजना (आईएवाई) नामक पूर्ववर्ती ग्रामीण आवास योजना को 01 अप्रैल, 2016 से प्रधान मंत्री आवास योजना - ग्रामीण के रूप में पुनगर्ठित किया गया है। पीएमएवाई-जी के अंतर्गत मार्च, 2022 तक **पात्र मछुवारा परिवारों** सहित पात्र ग्रामीण परिवारों को 2.95 करोड़ मकान उपलब्ध कराने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। पीएमएवाई-जी योजना की मुख्य विशेषताएं इस प्रकार हैं:

i. मैदानी क्षेत्रों में 1.20 लाख रु. और पर्वतीय राज्यों, दुर्गम क्षेत्रों एवं समेकित कार्य योजना (आईएपी) जिलों में 1.30 लाख रु. की इकाई सहायता।
ii. इसके अतिरिक्त लाभार्थी को शौचालय के निर्माण के लिए स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण), मनरेगा के अंतर्गत या किसी अन्य समर्पित वित्त पोषक एजेंसी से 12,000 रु. की

सहायता तथा मैदानी क्षेत्रों में 90 श्रम दिवसों और पर्वतीय राज्यों, दुर्गम क्षेत्रों एवं समेकित कार्य योजना जिलों में 95 श्रम दिवसों की सहायता तालमेल के माध्यम से मनरेगा के अंतर्गत प्राप्त होगी।

सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को वित्तीय और तकनीकी सहायता प्रदान करके उनके माध्यम से वर्ष 2022 तक सभी पात्र शहरी बेघर परिवारों को बारहमासी पक्के मकान उपलब्ध कराने के उद्देश्य से सरकार ने आवास और शहरी कार्य मंत्रालय के माध्यम से **प्रधान मंत्री आवास योजना (शहरी)** {पीएमएवाई (यू)} मिशन को जून, 2015 में शुरू किया है। इस मिशन को 4 घटकों के माध्यम से 4,427 शहरों/कस्बों में चलाया जा रहा है, जो कि इस प्रकार हैं:

(i) भूमि का संसाधन के रूप में उपयोग करते हुए ''स्व-सथाने'' झुग्गी-बस्ती पुनर्विकास (आईएसएसआर)
(ii) ऋण से जुड़ी सब्सिड़ी योजना (सीएलएसएस)
(iii) साझेदारी में किफायती आवास (एएचपी)
(iv) लाभार्थी उन्मुख व्यक्तिगत आवास निर्माण या संवर्धन (बीएलसी)

पीएमएवाई (यू) मिशन का उद्देश्य शहरी क्षेत्रों में **मछुवारों सहित** सभी पात्र बेघर परिवारों की आवास संबंधी आवश्यकता की पूर्ति करना है। पीएमएवाई (यू) के अंतर्गत, आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों (ईडब्ल्यूएस) के अर्थात 3.0 लाख रु. तक की वार्षिक पारिवारिक आय वाले लाभार्थी आईएसएसआर, एएचपी और बीएलसी घटकों के अंतर्गत पात्र हैं। तथापि, सीएलएसएस के अंतर्गत ईडब्ल्यूएस के लाभार्थियों के अतिरिक्त कम आय वर्ग (एलआईजी) अर्थात 3,00,001 रु. से 6,00,000 रु. तक के बीच की आय वाले, 6,00,001 रु. से 12,00,000 रु. तक के बीच की वार्षिक आय वाले मध्य आय वर्ग-I (एमआईजी-I) 12,00,01 रु. से 18,00,000 रु. तक के बीच की वार्षिक आय वाले एमआईजी-II वाले लाभार्थी भी इस योजना के दिशा-निर्देशों के अनुसार पात्र होने की शर्त के अधीन ब्याज सब्सिड़ी प्राप्त कर सकते हैं।

पीएमएवाई (यू) के अंतर्गत, लाभार्थियों के ईडब्ल्यूएस/एलआईजी वर्गों से होने की शर्त के अधीन मैला ढ़ोने वालों, महिलाओं (विधवाओं को अधिक वरीयता देते हुए), अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों/अन्य पिछड़ा वर्गों, अल्पसंख्यकों, विकलांग व्यक्तियों और किन्नरों को वरीयता दी जाती है।

(ख) और (ग) : ग्रामीण विकास मंत्रालय रोजगार सृजन, आजीविका के अवसरों को बढ़ावा देने, स्व-रोजगार, ग्रामीण युवाओं के कौशल विकास को बढ़ावा देने, सामाजिक सहायता और अन्य आधारभूत सुविधाओं के प्रावधान के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों के जीवन स्तर में समग्र सुधार लाने के उद्देश्य से अन्य के साथ-साथ प्रधान मंत्री आवास योजना - ग्रामीण (पीएमएवाई-जी), महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी (मनरेगा) योजना, दीन दयाल अंत्योदय योजना - राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (डीएवाई-एनआरएलएम), दीन दयाल उपाध्याय - ग्रामीण कौशल्य योजना (डीडीयू-जीकेवाई) तथा ग्रामीण स्व-रोजगार एवं प्रशिक्षण संस्थान (आरएसईटीआई),

प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना (पीएमजीएसवाई) श्यामा प्रसाद मुखर्जी राष्ट्रीय रुर्बन मिशन तथा राष्ट्रीय सामाजिक सहायता मिशन (एनएसएपी) चला रहा है। मंत्रालय के विभिन्न ग्रामीण विकास कार्यक्रमों के अंतर्गत आवंटित निधियों का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्यौरा **अनुबंध** में दर्शाया गया है।

(घ) : राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों से प्राप्त रिपोर्टों/विवरणियों के अनुसार 2016-17 से 2018-19 तक राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों का निष्पादन इस प्रकार है:

योजना का नाम	**2016-17**	**2017-18**	**2018-19**
पीएमएवाई-जी : (उन ग्रामीण मकानों* की संख्या, जिनका निर्माण कार्य संपन्न हो गया है)	3213453	4454698	4545811
मनरेगा : (सृजित श्रम दिवस करोड़ में)	235.64	233.74	267.90
पीएमजीएसवाई : (निर्मित सड़कों की लंबाई कि.मी. में)	47446.34	48714.60	49037.55
डीएवाई-एनआरएलएम: (सहायता पाने वाले स्व-सहायता समूहों की संख्या)	538756	791850	985587
डीडीयूजीकेवाई : (रोजगार पाने वाले अभ्यर्थियों की संख्या)	147883	75787	135809
आरएसईटीआई : (रोजगार पाने वाले अभ्यर्थियों की संख्या)	364536	350097	296307

*आईएवाई के अंतर्गत बनाए गए मकान सहित।

(ड.) : ग्रामीण विकास मंत्रालय अपने कार्यक्रमों/योजनाओं को बढ़ावा देने के लिए समाचार पत्रों, टेलीविजन, रेडियो, आउटडोर प्रचार कार्यकलापों इत्यादि के माध्यम से आईईसी (सूचना, शिक्षा और संचार) कार्यकलाप चलाता है।

अनुबंध

लोक सभा में दिनांक 25.06.2019 को उत्तर दिए जाने के लिए नियत अतारांकित प्रश्न संख्या 601 के भाग (ख) और (ग) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध

पीएमएवाई-जी के अंतर्गत राज्य/सं.रा. क्षेत्र-वार आवंटित की गई निधियां

(रू. लाख में)

क्र.सं.	**राज्य**	**वि.व. 2016-17**	**वि.व. 2017-18**	**वि.व. 2018-19**
1	अण्डमान और निकोबार	196.37	33.07	0.00
2	आंध्र प्रदेश	21712.79	35192.89	18605.43
3	अरुणाचल प्रदेश	5412.30	1210.97	0.00
4	असम	132197.90	166961.67	24408.40
5	बिहार	211427.06	60257.06	444931.91
6	छत्तीसगढ़	83815.91	262507.14	263695.44
7	दादर और नगर हवेली	282.83	330.88	946.97
8	दमन और दीव	49.88	8.74	0.00
9	गोवा	284.79	0.00	0.00
10	गुजरात	36527.41	53264.22	68219.85
11	हरियाणा	7414.46	2153.84	2839.56
12	हिमाचल प्रदेश	3253.82	5087.88	1468.94
13	जम्मू और कश्मीर	8033.01	4982.11	22683.11
14	झारखंड	79630.14	162629.86	173352.48
15	कर्नाटक	27864.00	59304.63	18822.48
16	केरल	10049.44	2140.78	0.00
17	लक्षद्वीप		70.92	0.00
18	मध्य प्रदेश	170114.87	487626.83	425042.66
19	महाराष्ट्र	73566.02	110207.77	113552.93
20	मणिपुर	5767.41	5855.30	429.98
21	मेघालय	8078.23	4273.76	12621.33
22	मिजोरम	2482.99	644.25	2923.83
23	नागालैंड	4676.22	832.99	0.00
24	ओडिशा	149452.93	312405.90	329032.43
25	पंजाब	7559.10	1602.06	0.00
26	राजस्थान	87153.10	189566.23	234013.32
27	सिक्किम	1190.61	0.00	0.00
28	तमिलनाडु	69059.77	84848.58	50279.81
29	तेलंगाना	14263.34	4815.53	0.00
30	त्रिपुरा	13455.46	18316.45	765.98
31	उत्तर प्रदेश	223980.45	494806.43	277585.81
32	उत्तराखंड	7484.09	1381.40	9598.30
33	पश्चिम बंगाल	139363.74	455666.02	437284.79
	कुल	**1605800.40**	**2988986.14**	**2933105.72**

अनुबंध

लोक सभा में दिनांक 25.06.2019 को उत्तर दिए जाने के लिए नियत अतारांकित प्रश्न संख्या 601 के भाग (ख) और (ग) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध

मनरेगा के अंतर्गत राज्य/सं.रा. क्षेत्र-वार आवंटित की गई निधियां

मनरेगा के अंतर्गत राज्यों को रिलीज की गई निधियां (2016-17 से 2018-19)				
(रू. लाख में)				
क्र.सं.	**राज्य**	**2016-17 ***	**2017-18 #**	**2018-19 $**
1	आंध्र प्रदेश	394021.193	512763.000	668453.62
2	अरुणाचल प्रदेश	15675.987	20679.650	19800.64
3	असम	125459.790	112366.538	105037.23
4	बिहार	166740.556	246888.442	289194.25
5	छत्तीसगढ़	223193.550	289885.207	308293.95
6	गुजरात	64323.810	82505.071	106079.98
7	हरियाणा	28771.330	30140.644	35625.15
8	हिमाचल प्रदेश	38860.834	58684.461	77873.65
9	जम्मू और कश्मीर	80408.520	125417.690	79334.12
10	झारखंड	167914.171	135264.566	153805.66
11	कर्नाटक	225864.879	295632.542	304024.77
12	केरल	158248.959	185406.396	235473.91
13	मध्य प्रदेश	344891.617	376889.916	468140.91
14	महाराष्ट्र	165708.925	185828.742	201463.63
15	मणिपुर	34370.410	15778.890	28698.66
16	मेघालय	86069.230	87060.440	79343.60
17	मिजोरम	14451.260	20081.040	40240.44
18	नागालैंड	50152.800	110492.875	19322.98
19	ओडिशा	189526.844	219834.665	221821.01
20	पंजाब	49073.460	61895.859	59855.36
21	राजस्थान	481816.863	472828.409	549230.58
22	सिक्किम	13262.560	10571.148	9743.42
23	तमिलनाडु	455277.907	583166.132	495166.28
24	तेलंगाना	180684.744	253920.331	295817.48
25	त्रिपुरा	101629.140	40440.497	44254.15
26	उत्तर प्रदेश	391584.937	369177.652	546465.02
27	उत्तराखंड	51435.079	71685.063	61004.67
28	पश्चिम बंगाल	537722.785	592702.953	735838.44
29	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	801.395	966.068	761.93
30	दादर और नगर हवेली	0.000	0.000	484.00
31	दमन और दीव	0.000	0.000	0.00
32	लक्षद्वीप	0.000	26.710	15.97
33	पुडुचेरी	346.917	1569.028	1475.36
34	गोवा	425.850	56.050	48.83
कुल		**4838716.305**	**5570606.675**	**6242189.65**
* वित्तीय वर्ष 2016-17 के दौरान सभी एनईएफएमएस राज्य/सं.रा. क्षेत्र के 56268.00 लाख रू. के असफल एफटीओ सहित				
# वित्तीय वर्ष 2017-18 के दौरान अस्वीकृत की गई लेन-देन राशि के पुन: जमा होने के कारण मजदूरी व्यय के लिए कटौती किए गए 131890.498 लाख रू. सहित				
$ वित्तीय वर्ष 2018-19 के दौरान 156046.92 लाख रू. के असफल लेन-देन सहित				

अनुबंध

लोक सभा में दिनांक 25.06.2019 को उत्तर दिए जाने के लिए नियत अतारांकित प्रश्न संख्या 601 के भाग (ख) और (ग) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध

डीएवाई-एनआरएलएम के अंतर्गत राज्य/सं.रा. क्षेत्र-वार आवंटित/रिलीज की गई निधियां

(रू. लाख में)

		2016-17	2017-18	2018-19
क्र.सं.	**राज्य/सं.रा. क्षेत्र का नाम**	**केंद्रीय रिलीज**	**केंद्रीय रिलीज**	**केंद्रीय रिलीज**
1	आंध्र प्रदेश	1778.73	9321.86	11922.19
2	बिहार	4835.89	25343.75	35230.54
3	छत्तीसगढ़	537.04	8443.52	10317.47
4	गोवा	75.00	150.00	150.00
5	गुजरात	382.60	3800.78	2787.30
6	हरियाणा	450.18	2282.54	3181.56
7	हिमाचल प्रदेश	94.80	748.78	690.59
8	जम्मू और कश्मीर	2368.00	6590.53	5854.70
9	झारखंड	911.71	8907.35	12512.08
10	कर्नाटक	940.06	4022.48	10297.26
11	केरल	511.88	5004.07	6925.01
12	मध्य प्रदेश	3097.82	10596.52	8381.60
13	महाराष्ट्र	3034.46	15093.08	29977.34
14	ओडिशा	2325.14	12001.65	20244.16
15	पंजाब	143.57	573.29	1380.61
16	राजस्थान	1165.64	9110.24	8442.36
17	तमिलनाडु	1797.46	13907.84	17444.53
18	तेलंगाना	423.51	3456.04	3085.33
19	उत्तर प्रदेश	5163.55	27362.74	39151.80
20	उत्तराखंड	366.56	1921.04	3853.52
21	पश्चिम बंगाल	3490.93	20164.33	20978.27
22	अं. और नि. द्वीप समूह	25.00	99.70	150.00
23	दमन और दीव	0.00	50.00	0.00
24	दादर एवं नगर हवेली	12.50	0.00	50.00
25	लक्षद्वीप	12.50	50.00	50.00
26	पांडिचेरी	250.00	327.80	306.70
	कुल	**34194.53**	**189329.93**	**253364.92**
	पूर्वोत्तर राज्य			
27	अरुणाचल प्रदेश	576.51	1496.33	2575.02
28	असम	5884.57	9595.10	19618.00
29	मणिपुर	782.18	834.93	1545.97
30	मेघालय	400.00	3502.80	4944.00
31	मिजोरम	1600.00	2991.78	4203.89
32	नागालैंड	2400.00	1380.00	5475.17
33	सिक्किम	564.66	619.36	1067.00
34	त्रिपुरा	2373.53	3677.15	8575.63
	कुल	**14581.45**	**24097.45**	**48004.68**
	कुल योग	**48775.98**	**213427.38**	**301369.60**

अनुबंध

लोक सभा में दिनांक 25.06.2019 को उत्तर दिए जाने के लिए नियत अतारांकित प्रश्न संख्या 601 के भाग (ख) और (ग) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध

डीडीयू-जीकेवाई के अंतर्गत रिलीज की गई निधियां (रू. लाख में)

क्र.सं.	**राज्य/सं.रा.क्षेत्र**	**2016-17**	**2017-18**	**2018-19**
1	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	0	0	0
2	आंध्र प्रदेश	82.900	5874.000	7247.000
3	अरुणाचल प्रदेश	61.000	1056.462	113.500
4	असम	10046.831	8669.000	5128.600
5	बिहार	3606.000	9660.000	18294.000
6	चंडीगढ़	0	0	0
7	छत्तीसगढ़	8947.200	0	0
8	दादर और नगर हवेली	0	0	0
9	दिल्ली	0	0	0
10	गोवा	60.000	0	0
11	गुजरात	154.293	1766.100	0
12	हरियाणा	58.038	3098.891	5662.000
13	हिमाचल प्रदेश	3670.435	0	183.600
14	जम्मू और कश्मीर	7360.088	5974.970	12933.600
15	झारखंड	6464.429	7186.398	1160.000
16	कर्नाटक	256.738	8280.863	0
17	केरल	4711.713	3347.286	9842.500
18	मध्य प्रदेश	7546.455	0	3799.752
19	महाराष्ट्र	96.065	0	5327.000
20	मणिपुर	461.000	0	2240.000
21	मेघालय	461.000	574.543	1884.000
22	मिजोरम	460.500	0	1431.588
23	नागालैंड	461.000	0	2238.000
24	ओडिशा	2195.443	14028.000	13889.600
25	पांडिचेरी	0	0	0
26	पंजाब	11.300	0	1082.000
27	राजस्थान	63.000	5785.000	3282.000
28	सिक्किम	460.500	0	60.500
29	तमिलनाडु	2590.999	0	5291.000
30	तेलंगाना	2190.620	3875.580	0
31	त्रिपुरा	3838.949	0	3785.600
32	उत्तर प्रदेश	549.559	0	7115.940
33	उत्तराखंड	1891.121	0	2621.000
34	पश्चिम बंगाल	8890.369	0	5869.000
35	बहु-राज्य	441.096	31.471	0
	कुल	**78088.641**	**79208.564**	**120481.780**

अनुबंध

लोक सभा में दिनांक 25.06.2019 को उत्तर दिए जाने के लिए नियत अतारांकित प्रश्न संख्या 601 के भाग (ख) और (ग) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध

आरएसईटीआई के अंतर्गत रिलीज की गई निधियां (रू. लाख में)

क्र.सं.	**राज्य/ स.रा.क्षे.**	**2016-17**	**2017-18**	**2018-19**
1	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	0.00	0.00	0.00
2	आंध्र प्रदेश	165.00	0.00	447.95
3	अरुणाचल प्रदेश	0.00	0.00	0.00
4	असम	193.60	96.39	357.76
5	बिहार	0.00	318.05	317.41
6	छत्तीसगढ़	165.00	172.29	467.02
7	दादर और नगर हवेली	0.00	0.00	0.00
8	गुजरात	231.00	255.42	498.16
9	हरियाणा	0.00	0.00	288.75
10	हिमाचल प्रदेश	0.00	106.82	103.41
11	जम्मू और कश्मीर	0.00	0.00	0.00
12	झारखंड	275.00	0.00	316.12
13	कर्नाटक	160.04	508.77	433.66
14	केरल	0.00	0.00	152.57
15	लक्षद्वीप	0.00	0.00	0.00
16	मध्य प्रदेश	0.00	0.00	0.00
17	महाराष्ट्र	219.41	378.97	313.88
18	मणिपुर	0.00	0.00	0.00
19	मेघालय	0.00	61.34	26.66
20	मिजोरम	0.00	15.17	0.00
21	नागालैंड	0.00	0.00	9.49
22	ओडिशा	182.21	0.00	1081.18
23	पांडिचेरी	0.00	0.00	0.00
24	पंजाब	0.00	164.59	169.62
25	राजस्थान	0.00	279.00	278.44
26	सिक्किम	0.00	0.00	7.14
27	तमिलनाडु	0.00	0.00	309.31
28	तेलंगाना	220.00	0.00	134.74
29	त्रिपुरा	84.33	0.00	7.55
30	उत्तर प्रदेश	1000.00	0.00	0.00
31	उत्तराखंड	182.34	0.00	73.23
32	पश्चिम बंगाल	0.00	201.47	114.55
	कुल	**3077.93**	**2558.28**	**5908.59**

अनुबंध

लोक सभा में दिनांक 25.06.2019 को उत्तर दिए जाने के लिए नियत अतारांकित प्रश्न संख्या 601 के भाग (ख) और (ग) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध

पीएमजीएसवाई के अंतर्गत रिलीज की गई निधियां				
क्र.सं.	राज्य	(रू. करोड़ में)		
		2016-17	2017-18	2018-19
1	आंध्र प्रदेश	197.59	40.00	200.00
2	अरुणाचल प्रदेश	205.92	700.00	1350.00
3	असम	475.76	575.58	2506.58
4	बिहार	2958.34	1349.31	60.57
5	छतीसगढ़	449.81	338.96	664.39
6	गोवा	0.00	0.00	0.00
7	गुजरात	31.04	0.00	0.00
8	हरियाणा	44.01	0.00	0.00
9	हिमाचल प्रदेश	396.61	360.17	677.25
10	जम्मू और कश्मीर	755.61	1400.00	581.46
11	झारखंड	819.59	1087.89	757.32
12	कर्नाटक	331.95	5.00	0.56
13	केरल	179.45	169.13	100.77
14	मध्य प्रदेश	1979.48	1075.08	913.30
15	महाराष्ट्र	606.00	270.59	6.75
16	मणिपुर	412.19	219.00	293.63
17	मेघालय	211.99	45.68	196.42
18	मिजोरम	93.36	200.00	51.32
19	नागालैंड	8.05	8.80	149.63
20	ओडिशा	1925.67	2038.19	2461.50
21	पंजाब	275.66	318.73	0.00
22	राजस्थान	559.41	889.90	0.00
23	सिक्किम	138.16	337.00	199.40
24	तमिलनाडु	309.58	591.07	589.00
25	तेलंगाना	146.03	99.22	99.64
26	त्रिपुरा	392.27	135.38	73.31
27	उत्तर प्रदेश	1234.87	866.81	253.54
28	उत्तराखंड	550.20	686.31	988.23
29	पश्चिम बंगाल	819.18	1000.00	1386.44
	कुल (राज्य)	**16507.75**	**14807.79**	**14561.00**

अनुबंध

लोक सभा में दिनांक 25.06.2019 को उत्तर दिए जाने के लिए नियत अतारांकित प्रश्न संख्या 601 के भाग (ख) और (ग) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध

एसपीएमआरएम के अंतर्गत रिलीज की गई निधियां

श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूर्बन मिशन (एसपीएमआरएम)				
विगत तीन वर्ष में निधियों की रिलीज (रू. करोड़ में)				
क्र.सं.	**राज्य**	**2016-17**	**2017-18**	**2018-2019**
1	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	0	0.35	9
2	आंध्र प्रदेश	51.1	33.1	8.1
3	अरुणाचल प्रदेश	4.95	0	8.35
4	असम	1.75	32.4	1.4
5	बिहार	22.65	0	17.6
6	छत्तीसगढ़	58.9	54.1	0
7	दादर और नगर हवेली	0	9	0.35
8	दमन एवं दीव	0	0.35	5.89
9	दिल्ली	0	0.35	0
10	गोवा	5.4	0	0.35
11	गुजरात	18.05	17.99	28.84
12	हरियाणा	33.45	0	22.3
13	हिमाचल प्रदेश	20.8	13.2	0
14	जम्मू और कश्मीर	8.9	4.05	0
15	झारखंड	15.99	21.35	24.3
16	कर्नाटक	13.6	0	15.68
17	केरल	21.4	46.2	16.2
18	लक्षद्वीप	0	0.35	0
19	मध्य प्रदेश	34.6	2.1	40.5
20	महाराष्ट्र	36.3	21.6	8.2
21	मणिपुर	8.1	8.45	8.45
22	मेघालय	4.85	12.15	0.35
23	मिजोरम	9	4.3	12.15
24	नागालैंड	4.4	4.4	0
25	ओडिशा	45.05	20.3	13.5
26	पांडिचेरी	0.35	9	9.35
27	पंजाब	12.55	27.35	5.4
28	राजस्थान	26.65	24.1	39.2
29	सिक्किम	4.5	0.35	12.15
30	तमिलनाडु	28.05	44.25	16.2
31	तेलंगाना	20	35.55	40.5
32	त्रिपुरा	33.45	12.15	16.9
33	उत्तर प्रदेश	0	86.77	43.04
34	उत्तराखंड	16.9	4.75	8.1
35	पश्चिम बंगाल	35.85	0.4	0
राज्यों को कुल रिलीज		**597.54**	**550.76**	**432.35**